न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : – डिक्री 221 सन् 2015
पंजीयन दिनांक :– 14.09.2015

1. तुलछा पिता हेमा जाति बोला निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
2. शंकर पिता हेमा जाति बोला निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
3. होवमी पत्नि स्व. हेमा जाति बोला निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ

–अपीलांटगण

विरुद्ध

1. जमनाबाई पत्नि स्व. देवा जाति जाट निवासी सोनियाना–मृत नाम हटाया
2. लेहरू पिता देवा जाति जाट निवासी सोनियाना –मृतक के बजाय
   1. शंकरलाल पिता लेहरू जाति जाट निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
   2. गीताबाई पुत्री लेहरू जाति जाट निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
   3. राधाबाई पत्नि लेहरू जाति जाट निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
3. माधु पिता देवा जाति जाट निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
4. शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक शाखा हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा
5. भूमिधारी तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौड़गढ
6. काना पिता बेणा जाति बोला निवासी सोनियाना–मृतक के बजाय
   1. भेरू पिता काना जाति बोला निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
7. नारायण पिता काना जाति बोला निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
8. खेमा पिता उदा जाति बोला निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
9. तारू पिता उदा जाति बोला निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
10. जमना पिता उदा जाति बोला निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
11. एकलिंग पिता उदा जाति बोला –मृतक के बजाय
    1. रम्भा पत्नि स्व. एकलिंग जाति बोला निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ़
12. श्याम पिता एकलिंग जाति बोला निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
13. श्रीमती कंचनदेवी पत्नि डालचंद जाति खटीक निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
14. ओमप्रकाश पिता भेरूलाल जाति खटीक निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
प्रकरण संख्या 28/2015 वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015

उपस्थित :– 1. चांदमल गर्ग – अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. छोगालाल जाट–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3
3. राशिदुल गफुर–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

4. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 5
5. रेस्पोडेन्ट सं. 6 से 13 लगायत बावजूद सूचना अनुपस्थित
6. रेस्पोडेन्ट सं. 14 की तलबी बन्द

निर्णय **दिनांकः- 07.02.20**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादीगण ने रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा सोनियाना तहसील गंगरार मे आराजी नम्बर 2045 से 2049 कुल किता 5 कुल रकबा 0.62 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर गत आराजी नम्बर 1908 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा से बना है। भू-प्र अधिकारियो ने नवीन भू-माप मे रकबा 0.80 हैक्टेयर के बजाय 0.62 हैक्टेयर कायम किया जिससे अपीलान्टगण वादीगण के खातेदारी मे 0.18 हैक्टेयर रकबा कम दर्ज कर दिया। वादी सं. 1 से 3 के हाल खसरा नम्बर 2050/3977 एवं 2050/3978 के कुल रकबा हैक्टेयर जो कि गत खसरा नम्बर 1909 रकबा 0.16 बिस्वा से बना है मे 0.4 हैक्टेयर दिया। अपीलान्टगण वादीगण रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 से 3 की खातेदारी से कम करवाकर 0 हैक्टेयर रकबा अपने खातेदारी मे दर्ज कराने व उसी अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने अधिकारी है।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण वादीगण ओर से प्रस्तुत होने पर वादपत्र दिनांक 21.04.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.05.2015 कि की गई। उक्त दिनांक से आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.07.2015 राजस्व लोक अदालत कोर्ट सोनियाना मे नियत की गई। बिना किसी राजीनामे व सभी पक्षकारो की प्रोपर तामील अपीलान्टगण वादीगण की उपस्थिति दर्ज कर अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र न्यायालय क्षैत्राधिकार का नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण वादीगण ने दिनांक 03.09.2015 को इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2,3,4, प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 5 प्रतिवादी की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 6 से लगायत 13 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट सं. 14 की अपीलान्टगण के आवेदन पर तलबी बन्द की गई। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण वादीगण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील विचाराधीन रहते हुए अधिवक्ता अपीलान्टगण वादीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 14 फोरमल पक्षकार होने से तलबी बन्द किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिसे स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 14 की तलबी बन्द किये जाने का आदेश पारित किया गया। अपीलान्टगण वादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया, जो रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की तलबी मे विचाराधीन था। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की तामील हुए बगैर उक्त वादपत्र को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सोनियाना मे नियत किया जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के बिना साक्ष्य व सबुत के गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए विवादित कृषि आराजीयात को आबादी भूमि होना मानते हुए वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नही होने से निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये है जो विधिसम्मत नही होने से अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2,3,4 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलान्टगण वादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे जिन आराजीयात के सम्बन्ध मे घोषणात्मक डिक्री चाही है। उक्त आराजीयात कृषि भूमि नही होकर संपरिवर्तन से आबादी भूमि हो चुकी है। आबादी भूमि के सम्बन्ध मे किसी प्रकार की घोषणा का अधिकार राजस्व न्यायालय का नही होकर सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है, जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र निरस्त किये जाने मे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही की है जिससे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 5 प्रतिवादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण वादीगण ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। पत्रावली तामील मे विचाराधीन रहते हुए राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सोनियाना मे नियत की गई जिसमे अपीलान्ट वादी सं. 1 व 2 उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादी ही उपस्थित हुए। शेष पक्षकार अनुपस्थित रहे। पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार की सुलह या लिखित राजीनामा होना नही पाया जाता है। पत्रावली के अपरिपक्व अवस्था मे वादग्रस्त आराजी नम्बर 2050/3977 रकबा 0.10 हैक्टेयर आबादी प्रयोजनार्थ सपरिवर्तित होकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज होने से पत्रावली विचारण न्यायालय के क्षैत्राधिकार की नही होना मानते हुए अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित किये। जबकि वादपत्र मे आराजी नम्बर 2050 रकबा 0.21 हैक्टेयर मे से सपरिवर्तित रकबा 0.10 हैक्टेयर आबादी प्रयोजनार्थ के अलावा शेष रकबा 0.11 हैक्टेयर बढते आराजी नम्बर 3978/2050 से भी दाद चाही है जो वर्तमान मे किस्म बीड होकर कृषि आराजीयात है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पक्षकारान की ओर से वादपत्र की पोषणीयता पर किसी प्रकार को आपत्ति व एतराज नही होते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये है। उक्त निर्णय व डिक्री राजस्व लोक अदालत के सिद्धान्तो के विपरीत होकर विधिसम्मत नही होने से अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पीलीबंगा (राज.)

फलस्वरूप अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार के प्रकरण संख्या 28/2015 रेवेन्यू वाद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2015 निरस्त किये जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए अजसरे नव निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान सुनवाई हेतु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 29.03.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(नरसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)